राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 1493/2023

शैलेन्द्र सिंह (कर्मचारी आई.डी.- आरजेएजे202001043956)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.06.2023
आदेश की दिनांक : 07.06.2023

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1.अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने स्थानांरण आदेश दिनांक 15.07.2022 की पालना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेक्टर 6, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर में कार्यग्रहण कर लिया है, परंतु अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थान पर अन्य व्यक्ति निलोफर मंसूरी भी कार्यरत है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2832/2022 में स्थगन आदेश पारित किया है। जिस कारण निलोफर भी उसी स्थान पर कार्यरत है और निलोफर को उस पद से वेतन दिया जा रहा है। जबकि अपीलार्थी स्थानांतरण आदेश की पालना में उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर चुका था।

2.अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त के आधार पर अपील की ग्राहयता के प्रक्रम पर इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ

किया जाना उचित है कि प्रत्यर्थी विभाग दिनांक 15-07-2022 से अपीलार्थी का वेतन किसी भी रिक्त पद से करें। इस आदेश की पालना 1 माह में की जाये।

3.उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)